

**क्रमांक 3323162/छ.ग./2023/पार्ट/
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़,
शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक सेक्टर -19,
नवा रायपुर, अटल नगर, जिला - रायपुर**

दिनांक / 05 / 2026

--: आदेश :-

छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का पत्र क्रमांक एफ 01-16/31/स्था./2020, दिनांक 29.10.2024 द्वारा वित्त विभाग के टीप क्रमांक 1491/बजट-2/वित्त/चार 2024, दिनांक 23.10.2024 से रिक्त पदों पर भर्ती की सहमति प्रदान किये जाने के परिपालन में तथा छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 1565/F-2015-04-02007/ब-4/चार, दिनांक 14.05.2024 (वित्त निर्देश 11/2024) द्वारा दिव्यांगजनों के लिए रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागों द्वारा विशेष भर्ती अभियान के तहत नियुक्तियों के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त किया गया तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर, अटल नगर के परिपत्र क्रमांक एफ 13-1/2024/आ.प्र./1-3, दिनांक 31.05.2024 द्वारा दिव्यांगजनों के लिए सीधी भर्ती के पदों में प्रतिवर्ष उद्भूत होने वाली रिक्तियों के आधार पर, दिव्यांगजनों के लिए बैकलॉग की गणना करते हुए रिक्त पदों की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के माध्यम से किये जाने के निर्देश जारी किया गया है।

छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल नवा रायपुर अटल नगर के माध्यम से दिनांक 20.07.2025 को आयोजित परीक्षा परिणाम के आधार पर जारी विज्ञप्ति में दी गई कंडिकाओं के अनुरूप मेरिट सूची के अनुसार दस्तावेज सत्यापन उपरांत विभागीय छानबीन समिति की अनुशंसा के परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों के उनके जिले के मेडिकल बोर्ड द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किये जाने के आधार पर निम्नलिखित अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) उपअभियंता (सिविल) के पद पर वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के वेतन मैट्रिक्स रु. 35400-112400 (लेवल-8) एवं शासन द्वारा समय-समय पर देय महंगाई भत्ता प्रतिमाह पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गये कार्यालय में निम्नलिखित शर्तों पर नियुक्त कर पदस्थ किया जाता है :-

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	मिथलेश देवांगन	नेतराम देवांगन	वार्ड-17, रघुवीर बाड़ी रोड़, नयापारा बेमेतरा, जिला-बेमेतरा (छ.ग.) पिन न. 491335	अ.पि.व. (OA,OL)	04.06.1993	2557	1333	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बेमेतरा
2.	हितेश पटेल	राधेश्याम पटेल	S/o राधेश्याम पटेल 002-3 ग्राम-गोंडबहाल वार्ड-02, पोस्ट-गोंडबहाल, थाना-पिथौरा, जिला-महासमुंद (छ.ग.) पिन न. 493551	अ.पि.व. (OA,OL)	04.08.1992	3403	1689	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, महासमुंद
3.	आकाश श्रीवास्तव	सूर्य प्रकाश श्रीवास्तव	वार्ड नं.-39, कॉरिनभाटा, राजनांदगांव (छ.ग.) पिन न. 491441	अनारक्षित (OA,OL)	21.09.1995	3693	0	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, राजनांदगांव
4.	विक्रान्त कुमार	रमेश लाल कुर्रे	ग्राम-गोंडपेन्डी, वार्ड नं. 02, पोस्ट-सेलूद, तह.-पाटन, दुर्ग (छ.ग.)	अ.जा. (OA,OL)	13.12.1997	3712	510	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग, दुर्ग
5.	मनीषा साहू	लीला राम साहू	D/o लीला राम साहू नगर पंचायत+पोस्ट-कोपरा, तह.-राजिम जिला-गरियाबंद (छ.ग.) पिन न. 493887	अ.पि.व. (OA,OL)	21.08.1998	4242	2053	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, गरियाबंद

स. क्र.	अभ्यर्थी का नाम	माता/पिता/पति का नाम	वर्तमान पता	संवर्ग	जन्मतिथि	Overall Rank	Cat. Rank	कार्यालय जहाँ पदस्थ किया जाता है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	विपुल कुमार नायक	मोहन लाल नायक	विपुल कुमार नायक S/o मोहन लाल नायक, वार्ड नं. -09, बीच बस्ती, देवगांव, थाना-सरिया, तह.-बरमकेला, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़ (छ.ग.) पिन नं. 496554	अ.पि.व. (HH)	09.09.1998	3643	1796	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, रायगढ़
7.	खन्नी मोहले	पुरुषोत्तम मोहले	ग्राम-सांवतपुर, पो.आ.-लालपुर, तह.-लोरमी, जिला-मुंगेली (छ.ग.) पिन नं. 495334	अ.जा. (HH)	01.07.1994	5412	776	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कोटा
8.	इन्द्रजीत	चेक राम	ग्राम-पेंवरो, पोस्ट-तरी ब्लॉक-गुरुर, जिला-बालोद (छ.ग.) पिन नं. 491227	अ.पि.व. (HH)	17.01.1999	7378	3339	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, बालोद

2. नियुक्ति की अन्य शर्तें :-

- (1) किसी भी समय एक माह के पूर्व सूचना नियुक्तकर्ता को देकर या नियुक्तकर्ता अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी को देकर छत्तीसगढ़ सेवा (अस्थाई तथा अर्धस्थाई) नियम 60 के उपनियम 12 के अंतर्गत सेवा समाप्त की जा सकती है तथा एक माह की सूचना दिये बिना यदि वे अपनी अस्थाई सेवा छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें एक माह का वेतन तथा भत्ता या ऐसी अवधि का वेतन जो एक माह की सूचना अवधि से कम न हो देना होगा।
- (2) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के अधिसूचना क्रमांक एफ 1-1/2017/1/3 दिनांक 28.07.2020 एवं छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर के परिपत्र क्रमांक 571/260/वि/नि/चार/2020 दिनांक 12.09.2023 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार सीधी भर्ती के पद पर चयनित उक्त उपअभियंता (सिविल) की परिवीक्षा अवधि 03 वर्ष की होगी। पूर्णतः उपयुक्त पाये जाने पर नियमित किया जावेगा।
- (3) परिवीक्षा अवधि में पदस्थापना स्थल परिवर्तित नहीं किया जावेगा।
- (4) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जानकारी अथवा कोई तथ्य भविष्य में असत्य पाये जाने पर बिना किसी सूचना के सेवा से पृथक कर दिया जायेगा।
- (5) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड से शारीरिक स्वास्थ्यता प्रमाण-पत्र (फिटनेस सर्टिफिकेट) उपस्थिति प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (6) पदस्थापना कार्यालय में उपस्थित देते समय शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (7) अभ्यर्थी द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु जानकारी अनुप्रमाणन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में मूलतः प्रस्तुत का चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र एक माह के अंदर संबंधित कार्यालय द्वारा पुलिस विभाग से प्राप्त करना होगा। पुलिस द्वारा दिये गये उनके चरित्र सत्यापन में किसी प्रकार की प्रतिकूल टीप/अपराधिक गतिविधियाँ पाये जाने पर नियुक्ति बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।
- (8) छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर का परिपत्र क्रमांक 282/एफ 2016-04-03289/वि/नि/चार दिनांक 11.05.2022 में किये गये प्रावधान के अनुसार पेंशन योजना लागू होगी।
- (9) अभ्यर्थियों को उनके पदस्थ किये गये कार्यालय में पदस्थापना आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देना अनिवार्य है। बिना सक्षम अनुमति प्राप्त किये निर्धारित तिथि तक उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उनकी में नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जाएगी।
- (10) तकनीकी शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं जन्म प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

